

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-98

पटना, दिनांक- 2/7/26

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है:-

क्र०	Reg I'd	नाम/पदनाम	कार्यालय/विभाग	आवंटित आवास
1.	BG8556	श्री त्यागराजन एस.एम. भा0प्र0से0(2011), अध्यक्ष	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	B3/02, 96 सेट, नेहरू पथ
2.	BG8557	श्री सुब्रत कुमार सेन, भा0प्र0से0(2013), प्रबंध निदेशक	बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड	B3/30, 96 सेट, नेहरू पथ

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल (मो0नं0-9264293042) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-6036(4) पटना, दिनांक:- 21/7/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित पदाधिकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।